निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 वैशाख 1937 (श0)

(सं0 पटना 507)   पटना, शुक्रवार, 24 अप्रील 2015

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

24 अप्रील 2015

सं० एल0जी0-1-07/2015/लेजः—47—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 23 अप्रील 2015 को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन,

सरकार के सचिव।

बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015

[बिहार अधिनियम 4, 2015]

बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 (बिहार अधिनियम 13, 2012) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना। – चूँकि, भारत सरकार से केन्द्रीय योजनागत योजना, केन्द्र प्रायोजित योजना एवं राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के स्वरूप में व्यापक परिवर्त्तन हुए हैं और बजट प्रावधान उसके अनुरूप नहीं किया गया है और राशि का व्यय शीघ्र किया जाना अपेक्षित है, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए पैक्स के माध्यम से गेहूँ/धान की अधिप्राप्ति की जानी है, और चूँकि, राज्य में अनियमित मौनसून एवं भू–जलस्तर गिरने के कारण कृषि पर कभी–कभी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा पेयजल की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना रहती है जिसके कारण राहत एवं पुनर्वास के उपायों को आपात और व्यापक पैमाने पर किया जाना होता है, साथ ही साथ, कई अन्य आवश्यक कार्यों को तुरन्त निष्पादित करने की आवश्यकता रहती है।

वर्ष 2012 में बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) में धारा–4 'क' का अंतःस्थापन किया गया था और जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि स्थायी काय 350 (तीन सौ पचास) करोड़ रूपये से अधिक वृद्धि करने की यदि अपेक्षा हो तो मंत्रिपरिषद् द्वारा अस्थायी रूप से बढ़ाया जा सकेगा जो उस वर्ष के वित्तीय वर्ष के 30 मार्च तक, व्यय बजट का अधिकतम 3 (तीन) प्रतिशत तक होगा और उस राशि में से एक तिहाई राशि का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत एवं पुनर्वास उपायों के लिए किया जा सकेगा। वर्तमान में बिहार आकस्मिकता निधि का 350 (तीन सौ पचास) करोड़ रूपये के स्थायी काय के अतिरिक्त अस्थायी काय की व्यय बजट के 3 (तीन) प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी अपर्याप्त साबित हो रही है, अतः उक्त राशि को 3 (तीन) प्रतिशत से बढ़ा कर 4 (चार) प्रतिशत करना अपेक्षित है, के संदर्भ में संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।– (1) यह अधिनियम बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 (बिहार अधिनियम 13, 2012) की धारा–4 'क' में संशोधन । – बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 (बिहार अधिनियम 13, 2012) की धारा–4 'क' में शब्द ''3 (तीन) प्रतिशत'' को शब्द ''4 (चार) प्रतिशत'' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव।

24 अप्रील 2015

सं0 एल0जी0–1–07/2015/लेजः—48—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 अप्रील 2015 को अनुमत बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव।

THE BIHAR CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 2015

[Bihar Act 4, 2015]

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 2012 (BIHAR ACT 13, 2012).

Preamble. -WHEREAS, to ensure the expenditure under Central Sector Scheme, Centrally sponsored schemes and Central Assistance to State Plan in which major changes have been made by the Government of India and for which budget provision has not been

made and the expenditure is required to be made imediately, to ensure remunerative price to farmers, of their produce, wheat/paddy has to be procured through the PACS;

AND WHEREAS, irregular monsoon and the resultant fall in ground water level sometimes adversely affect the agriculture and create drinking water problem and there is apprehension of flood in some areas, Which requires relief and rehabilitation measures to be undertaken on an emergent and massive scale, and for undertaking of many other essential works,

And For which the present permanent corpus of Rs 350 (Three hundred fifty) crore of contingency funds, along with the temporary corpus of up to 3% of the expenditure budget, which was provided for vide insertion of clause 4A of Bihar contingency fund (Amendment) Act of 2012, may be insuffecient;

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the Sixty sixth year of the Republic of India as follows:-

1. ***Short title and commencement-*** (1) This Act may be called the Bihar Contingency Fund (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment in ***section 4A in the Bihar contingency fund (Amendment) Act, 2012 (Bihar Act 13, 2012)*****—** In section 4A the word "3 (Three) percent" shall be subsitituted by word "4 (Four) percent" in the Bihar Contingency Fund (Amendment) Act, 2012 (Bihar Act 13, 2012).

By order of the Governor of Bihar,

AKHILESH KUMAR JAIN,

Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 507-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in